

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 16.01.2026

➤ राज्य निर्वाचन आयोग में माननीय पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी का आगमन:-

- माननीय पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश ने राज्य निर्वाचन आयोग में आकर पूर्व के निर्वाचन में अपनायी गयी तथा आगामी पंचायत निर्वाचन 2026 में अपनायी जाने वाली तकनीकी नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
- माननीय पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश के साथ बैठक में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद, सचिव श्री मुकेश कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री संजय कुमार, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त श्री शंभू कुमार सहित आयोग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग से सलाहकार श्री रघुवंश प्रसाद सिंह एवं निदेशक श्री नवीन कुमार भी बैठक में शामिल हुए।
- इस अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा तकनीकी नवाचारों का Power Point Presentation देखा गया तथा मुख्य रूप से अब तक हुए चुनावी परिवर्तनों एवं आगामी पंचायत निर्वाचन 2026 की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने के विषय पर चर्चा की गई। निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीक-सक्षम बनाने के उद्देश्य से आगामी निर्वाचन में मल्टी-पोस्ट ईवीएम, तकनीकी आधारित निर्वाचन सुधार, वर्तमान अधिनियम एवं नियमों में आवश्यक सुधार, निर्वाचन की योजना एवं लॉजिस्टिक्स, तथा बजट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ली गई।
- माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद द्वारा माननीय पंचायती राज मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया तथा गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री ने अब तक संपन्न पंचायत चुनावों में किए गए तकनीकी नवाचारों, मतदाता पहचान के लिए अपनायी जाने वाली तकनीक (एफ.आर.एस) एवं ओ.सी.आर आधारित मतगणना पद्धति एवं सुधारात्मक परिवर्तनों की सराहना की साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से किये गए तकनीकी/निर्वाचन कार्यों के सापेक्षिक रूप से बहुत कम बजट में सम्पादित करने पर प्रशंसा व्यक्त किया गया।

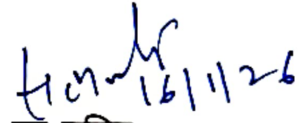


➤ नगर परिषद्, खगौल (जिला पटना) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन एवं संख्यांकन (परिसीमन) का प्रारूप प्रकाशन:

- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद्, खगौल (जिला पटना) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन एवं संख्यांकन (परिसीमन) की प्रक्रिया दिनांक 01.01.2026 से जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 16.01.2026 को प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके दावा/आपत्ति की निर्धारित अवधि दिनांक 16.01.2026 से 03.02.2026 है।

दावा/आपत्ति या सुझाव:

- ऑफलाइन : जिला निर्वाचन कार्यालय या प्राधिकृत पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- ऑनलाइन : आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर दर्ज किया जा सकता है।
- टोल फ्री नंबर : 1800-3457-243 पर कॉल करके वार्ड गठन संबंधी जानकारी/सूचना/सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार